(5)

प्रकरण संख्या : 10/2022
कल्याणी वगै. बनाम रामकरण वगै.
निर्णय दिनांक : 31.07.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	10/2022
दायर दिनांक	:	11.10.2022
निर्णय दिनांक	:	31.07.2023

उनवान

1. कल्याणी पुत्री स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
2. लक्ष्मा पुत्री स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
3. सुशीला पुत्री स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
4. लोहडसी पुत्री स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
5. कमोद पुत्री स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण पुत्र स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
2. मुरली पुत्र स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
3. भूली उर्फ मूली देवी पत्नी स्व. राधाकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
5. उप तहसीलदार भाण्डारेज उप तहसील भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
6. ग्राम पंचायत गोठडा पंचायत समिति दौसा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा
7. यूको बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रवन्धक

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :	1.	अपीलान्ट्स की ओर से	श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता
	2.	रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से	श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता
	3.	रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से	श्री कृष्णकांत शर्मा, अधिवक्ता

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 08.12.2011
तस्दीक द्वारा ग्राम पंचायत गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(5)

प्रकरण संख्या : 10/2022
कल्याणी वगै. बनाम रामकरण वगै.
निर्णय दिनांक : 31.07.2023

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट्स ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा के खाता संख्या नया 204 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1221 रकबा 0.01 है. गै.मु. चाही, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.31 है. गै.मु. आबादी कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है. एवं खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 1204 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 1205 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 1207 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1211 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1371 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.57 है., खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.55 है., खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.51 है., खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.77 है. कुल किता 18 कुल रकबा 4.32 है. एवं खाता संख्या 203 के खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1259 रकबा 0.37 है., खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.05 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.83 है., खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 1238 रकबा 0.30 है. खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 104 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 107 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 110 रकबा 1.26 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है. एवं खाता संख्या 91 के खसरा नम्बर 676 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 677 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 678 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 679 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 680 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 682 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 683 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 684 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 685 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 686 रकबा 0.08 है. कुल किता 10 कुल रकबा 1.56 है., खाता संख्या 190 के खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.46 है., खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.42 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.78 है. स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार राधाकिशन पुत्र ग्यारसा मीना की मृत्यु दिनांक 10.05.2011 को होने पर उपरोक्त अपीलाधीन विरासत का नामान्तकरण अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में दर्ज किया गया परन्तु उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलांट्स का नाम एक फर्जी व कूटरचित समर्पणनामा का इन्द्राज करते हुए पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट्स का नाम उक्त नामान्तकरण से हज्फ कर दिया गया तथा सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण रेस्पेन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के नाम गलत दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलांट्स मृत्तक राधाकिशन पुत्र ग्यारसा की जायन्दा पुत्रियाँ हैं तथा वारिसान हैं। उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किसी प्रकार की महमेआम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। न ही ग्राम पंचायत भवन पर कोई नोटिस चस्पा किया गया तथा नामान्तकरण तस्दीक करने के दिन ग्राम पंचायत का कोरम भी पूर्ण नहीं था। ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व विधिवत् व कानूनन जाँच नहीं की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट्स को धोखा देकर मृत्तक राधाकिशन पुत्र ग्यारसा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु एक सफेद पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा अपीलांट्स यह समझकर अपने हस्ताक्षर कर दिये कि उन्हें अपने पिता के नाम की खातेदारी की भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसी आशय से अपीलांट्स ने खाली सफेद पेपर पर हस्ताक्षर कर दिये परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने [illegible] करके तथा षड्यंत्र रचकर उक्त खाली पेपर पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र के वास्ते किये

अधिकारी ... दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

गये थे पर बिना अपीलांट्स की स्वीकृति व सहमति के सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) गलत व फर्जी तैयार कर लिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा फर्जी व कूटरचित तथाकथित सहमति (हक त्याग पत्र) दिनांक 08.06.2011 अपीलांट्स की बिना सहमति के बिना स्वैच्छा से तैयार किया गया है व उक्त तथाकथित सहमति पत्र दिनांक 08.06.2011 को लिखा गया तथा 03.10.2011 को नोटरी से अटेस्टेड किया हुआ एवं उक्त तथाकथित सहमति पत्र पर किसी गवाह के भी हस्ताक्षर नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड है, जिसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त तथाकथित सहमति पत्र फर्जी व कूटरचित है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्तनीय है। अपीलांट्स को नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.09.2022 को हुयी, जिसकी नकल दिनांक 16.09.2022 को प्राप्त होने से अन्दर मियाद यह अपील पेश है। फिर भी रफाये हुज्जत अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। उक्त अपील में वर्णित नामान्तकरण से अपीलांट्स के हक हकूक प्रभावित होते हैं। अपीलांट्स प्रमाणित पक्षकार हैं। इसलिए अपीलांट्स को उक्त अपील पेश करने का अधिकार है। फिर भी दफा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा दिनांक 08. 12.2011 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 475 को निरस्त किया जावे एवं अपीलांट्स के नाम वर्तमान खाता संख्या 204, 17, 203, 181, 43, 91, 190 की भूमि मृत्तक राधाकिशन पुत्र ग्यारसा की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 4, 5, 6 की रजिस्टर्ड एडी को 1 माह से अधिक का समय होने से उनकी तामील मानी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश कर नामान्तकरण संख्या 475 को निरस्त किये जाने तथा अपीलांट्स का नाम वर्तमान खाता संख्या 204, 17, 203, 181, 43, 91, 190 की भूमि मृत्तक राधाकिशन पुत्र ग्यारसा की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान किये जाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति, उज्र व ऐतराज नहीं होना अवगत कराया। मूल नामान्तकरण संख्या 475 तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अपीलांट्स की ओर से अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रश्नगत नामान्तकरण को निरस्त करने एवं अपीलांट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोले जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने एवं अपीलांट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम विरासत का नामान्तकरण खोलने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी एवं बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 475 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स (कल्याणी, लछमा, सुशीला, लोहडसी, कमोद) भी मृत्तक राधाकिशन की वारिसान हैं तथा पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट्स का नाम भी प्रश्नगत नामान्तकरण में दर्ज किया गया था किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करते समय अपीलांट्स का नाम छोडकर शेष वारिसान के नाम स्वीकार किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया दस्तावेज के अपीलांट्स का नाम छोडकर नामान्तकरण स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने प्रश्नगत नामान्तकरण को निरस्त करने एवं अपीलांट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम विरासत का नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति, उज्र व ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का भी

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

अधिकारी ... मजिस्ट्रेट दौसा जिला

कानूनन हक होता है। अतः नामान्तकरण संख्या 475 ग्राम रूडमल का बास को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 08.12.2011 ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा को निरस्त किया जाता है तथा इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तकरण वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)